# विद्युत लोकपाल
## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
## पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L00-15/2022**

**मे0 फतेह गुरू गोविंद सिंह एण्ड कम्पनी,** **आवेदक/अपीलार्थी**
द्वारा – प्रोप्रायटर मंजीत सिंह बिंद्रा,
निवासी – मोहम्मपुरा रेणुका माता रोड,
बुरहानपुर (म0प्र0) – 450331

**विरूद्ध**

**अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.)**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
लालबाग रोड, बुरहानपुर (म.प्र.) – 450331

**अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी**

**कार्यपालक निदेशक (ईन्दौर क्षेत्र),**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
पोलो ग्राउण्ड, इन्दौर (म.प्र.) – 452001

**आदेश**

**(दिनांक 16.11.2022 को पारित)**

**01.** आवेदक मे0 फतेह गुरू गोविंद सिंह एण्ड कम्पनी, द्वारा – प्रोप्रायटर मंजीत सिंह बिंद्रा, निवासी – मोहम्मपुरा रेणुका माता रोड, बुरहानपुर (म0प्र0) – 450331 ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 16.07.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0 0465020 दिनांक 18.12.2020 से असंतुष्ट एवं असहमत होने के कारण अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 26.08.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–15/2022 पर दर्ज की गई है ।

02. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :**

## अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003

अपीलार्थी आवेदक श्रीमान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0 0465020 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2020 जिसकी प्रति दिनांक 13.01.2021 को प्राप्त हुई से पीड़ित व दुखी होकर मौजूदा अपील देरी के कारण से प्रस्तुत की जा रही है । देरी का कारण कोविड – 19 का प्रभाव एवं परिवार में तीन मृत्यु का उल्लेख करते हुए क्षमा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

आवेदक ने अनावेदक से एक सीजनल एच.टी. कनेक्शन क्र. 9026904000 स्वीकृत भार 200 के.व्ही.ए. के पिछले करीब 20 वर्ष पूर्व प्राप्त किया था उक्त अवधि में आवेदक की एम.डी. कभी भी ऑफ सीजन में 30 प्रतिशत से अधिक शूट अप नहीं हुई थी इस बात की पुष्टि में आवेदक उसकी पिछली 3 वर्ष की खपत एवं एम.डी. की तालिका प्रस्तुत कर रहा है जिसकी प्रति अनेक्चर 1 ए है।

आवेदक की वर्ष 2018 में विद्युत खपत एवं एम.डी. इस प्रकार आई है माह मई 2018 में विद्युत खपत 3816 युनिट एम.डी. 41 के डब्ल्यू माह जून में 4020 युनिट एम.डी. 64 के.डब्ल्यु माह जुलाई में 3900 युनिट एम.डी. 41 के.डब्ल्यू माह अगस्त 3504 युनिट एम.डी. 109 के.डब्ल्यु माह सितम्बर में 3456 युनिट एम.डी. 43 के.डब्लयू माह अक्टूबर में 3042 युनिट एम.डी. 36 के.डब्ल्यू. और माह नवम्बर में 750 युनिट एम.डी. 34 के.डब्ल्यू. आई है ।

उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को स्वीकार की जाकर माननीय इन्दौर फोरम के आदेश दिनांक 18.12.2020 को निरस्त किया जावे और प्रति अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा अपीलार्थी/अनवेदक से मांग की जा रही राशि 13,89,467/– रू0 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी/आवेदक द्वारा भुगतान की गई समस्त राशि ब्याज सहित वापस दिलाई जावे और वर्तमान अपील का खर्च 10,000/– रू. भी अपीलार्थी/आवेदक को प्रति अपीलार्थी/अनावेदक से दिलाया जावे ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–15/2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 16.09.2022 नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 16.09.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक एडवोकेट श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अनुज कुमार सेंगर, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अनुज कुमार सेंगर, सहायक यंत्री ने प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई तथा लिखित प्रत्युत्तर रिकार्ड में लिया गया । जो निम्नानुसार है :–

***<u>जवाबदावा–ओर से अनावेदक</u>***

*"**01.** आवेदक मेसर्स फतेह गुरू गोविंदसिंह एण्ड कंपनी, ग्राम मोहम्मदपुरा, रेणुका माता मंदीर रोड, जिला तहः बुरहानपुर, को 200 के.व्ही.ए. का विद्युत कनेक्शन 33 के.व्ही. लाईन पर उच्चदाब कनेक्शन प्रदान किया गया था।*

***02.** आवेदक व्दारा दिनांक 01/10/2018 को कनेक्शन स्थायी विच्छेद करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत आवेदन के आधार पर दिनांक 31/10/2018 को कनेक्शन स्थायी विच्छेद किया गया ।*

***03.** आवेदक व्दारा एच0टी0 विद्युत कनेक्शन क्रमांक 9026904000 पर माह अगस्त 2018 में दर्ज हुई अत्याधिक एम.डी. के आधार पर अपीलार्थी/आवेदक से मांग की जा रही राशि 13,89,467/– रूपये निरस्त करने हेतु एवं अपीलार्थी/आवेदक व्दारा भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाने हेतु श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है ।*

***आवेदक की ओर उपरोक्त बकाया राशि के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।***

*अ. यह कि, आवेदक का कनेक्शन दिनांक 31/10/2018 को स्थायी रूप से विच्छेदित किया गया ।*

*ब. यह कि, आवेदक के परिसर में स्थापित उच्च दाब विद्युत कनेक्शन क्रमांक 9026904000 विद्युत भार 200 के.व्ही.ए. का सीजनल कनेक्शन था ।*

*स यह कि, आवेदक/उपभोक्ता की टैरिफ श्रेणी HV 4.1 सीजनल थी, किन्तु उपभोक्ता व्दारा माह अगस्त 2018 में कुल अधिकतम डिमांड 109 के.व्ही.ए. दर्ज की गयी थी, जो कि संविदा मांग 200 के.व्ही.ए. का 34.5 % से अधिक है ।*

*टेरिफ आदेश 2018–2019 में टैरिफ श्रेणी HV 4.1 के विशिष्ट नियम एवं शर्तो के खण्ड क्रमांक (जी) अनुसार The consumer will be required to restrict his maximum demand during off season up to 30 % of the contract demand. In case the maximum demand recorded in any*

*month of the declared off season exceeds 34.5% of CD (115% of 30% of CD), the consumer will be billed under HV 3.1 Industrial tariff for the whole financial yearas per the tariff in force.*

*तदानुसार उपभोक्ता व्दारा प्रतिबंधित अधिकतम डिमांड का उल्लंघन किये जाने की वजह से उपभोक्ता को टैरिफ श्रेणी HV 3.1 औद्योगिक के नियम अनुसार वर्ष 2018–2019 की पूरक बिलिंग राशि रूपये 3,53,994/– जारी किया गया । तत्संबंध में उच्चदाब बिलिंग सेल, इंदौर व्दारा* ***आवेदक को जारी पत्र क्रमांक 1829 दिनांक 11/12/2018 एवं बिलिंग विवरण संलग्न है । (अनुलग्नक एक– क्रमांक 1 से क्रमांक 2 तक)***

*द. यह कि, आवेदक के परिसर स्थापित कनेक्शन की मीटर रीडिंग हेतु प्रतिमाह 23 तारीख निर्धारित होने के कारण आवेदक को माह नवंबर 2019 में माह अक्टूम्बर 2019 की दिनांक 23/10/2018 से 31/10/2018 तक का निम्नानुसार विद्युत देयक जारी किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है ।*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | *दिनांक 23/10/2018 से 31/10/2018 तक का देयक* | | *2,36,581/–* |
| 2. | *पूरक देयक राशि* | | *3,53,994/–* |
| 3. | *बकाया राशि* | | *7,05,163/–* |
| 4. | *अन्य समायोजन* | *(–)* | *15,753/–* |
| | *कुल बकाया –* | | *12,79,985/–* |
| | ***सुरक्षा निधी समायोजन*** | ***(–)*** | ***7,62,130/–*** |
| | ***कुल देयक*** | | ***5,17,855/–*** |
| | ***सरचार्ज*** | | ***6,473/–*** |
| | ***अंतिम देयक*** | | ***5,24,328/–*** |

***अंतिम देयक से संबंधित दस्तावेज संलग्न है । (अनुलग्नक दो– क्रमांक 3 से क्रमांक 9 तक)***

***04*** *यह कि, आवेदक के अंतिम देयक राशि रूपये 5,24,328/– में आवेदक के अन्य कनेक्शन क्रमांक 0126904000 की जमा सुरक्षा निधी राशि रूपये 103009/– का समायोजन के उपरांत आवेदक की ओर (524328–103009=421319) राशि रूपये 4,21,319/– एवं ''बी फार्म'' राशि रूपये 12/– कुल बकाया राशि रूपये 4,21,331/– शेष होकर वसूली योग्य है ।*

***<u>प्रति अपीलार्थी का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रतिउत्तर :–</u>***

*01. कंडिका क्रमांक 1 के संबंध में लेख है कि, आवेदक व्दारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना माननीय लोकपाल महोदय का क्षेत्राधिकार होने से प्रतिअपीलार्थी को कोई आपत्ती नही है।*

*02. कंण्डिका क्रमांक 02 के संबंध में लेख है कि, माननीय फोरम व्दारा प्रतिअपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत एम.आर.ई. रिपोर्ट में पाई गई एम.डी. के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, यदि अपीलार्थी, प्रतिअपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत एम.आर.ई. रिपोर्ट में पाई गई एम.डी. गलत ठहराते है तो इसके लिये अपीलार्थी को प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए । रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है।* ***(अनुलग्नक तीन– क्रमांक 10 से क्रमांक 13 तक)***

*03 कंण्डिका क्रमांक 03 के कथन से इंकार है क्यों कि, केबल फाल्ट होने से एमडी अधिक प्रदर्शित नही हो सकती, अपितु अपीलार्थी व्दारा जितने भार का उपयोग किया जाता है उसके आधार पर एम.आर.ई. रिपोर्ट में एम.डी. प्रदर्शित होती है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को विद्युत देयकों का भुगतान करना होता है ।*

*04 कंण्डिका क्रमांक 04 के कथन से इंकार है क्यो कि, उच्च दाब बिलिंग प्रकोष्ठ इंदौर व्दारा दर्शित एम.डी. के आधार पर बिलिंग की गई है, जो कि सही होकर वसूली योग्य है ।*

*05 कंण्डिका क्रमांक 05 एवं 6 स्वीकार है ।*

*06 कंण्डिका क्रमांक 07 में अंकित जानकारी आवेदक की निजी जानकारी होने के कारण कोई टिप्पणी नही की जा सकती हैं।*

*माननीय लोकपाल महोदय की ओर निवेदन पूर्वक लेख है कि, अपीलार्थी व्दारा पूर्व में उपरोक्त प्रकरण में दर्शित तथ्यों को लेकर माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 4310/2019 दायर किया गया था, जिसमें माननीय फोरम व्दारा उभयपक्षों व्दारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 19/06/2019 को कंपनी के पक्ष में*

*निर्णय पारित किया गया था ।* ***आदेश प्रति संलग्न है । (अनुलग्नक चार– क्रमांक 14 से क्रमांक 19 तक)***

*अपीलार्थी उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर श्रीमान के समक्ष अपील क्रमांक एल0010/2019 दायर की गयी थी, जिसमें श्रीमान व्दारा उभयपक्षों व्दारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 27/02/2020 को निर्णय पारित किया गया था कि, आवेदक की अपील अस्वीकार कर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर–उज्जैन क्षेत्र का आदेश दिनांक 19.06.2019 यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया जाता है ।* ***आदेश प्रति संलग्न है । (अनुलग्नक पांच– क्रमांक 20 से क्रमांक 35 तक)*** *श्रीमान व्दारा उपरोक्त आदेश में स्पष्ट लेख किया गया था कि, तथ्यों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–*

*(1) अनावेदक द्वारा अक्टूबर 2018 का बिल दिनांक 23.10.2018 तक की खपत के लिए जारी करने के बाद अनुबंध की शेष 7 दिनों की अवधि अर्थात् 24.10.2018 से 31.10.2018 की अवधि के लिए बिल जारी किया जाना म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा वर्ष 2018–19 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार होकर उचित पाया जाता है ।*

*(2) आवेदक ने केबल में फाल्ट होने के कारण एम0डी0 अधिक दर्ज होने संबंधी अपने कथन के पक्ष में कोई तक्र सम्मत दलील का युक्ति–युक्त आधार प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो कि केबल में फाल्ट होने के कारण ही आवेदक के मीटर में अधिक एम0डी0 दर्ज हुई थी, अतः आवेदक का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है ।*

*(3)* ***दिनांक 31.10.2018 को आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन का स्थाई विच्छेदन किए जाने के उपरांत आवेदक को अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता का प्राप्त दर्जा समाप्त हो चुका था, अतः फोरम के समक्ष फरवरी 2019 में शिकायत प्रस्तुत करते समय एवं अगस्त 2019 में विद्युत लोकपाल के समक्ष फोरम के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते समय चूंकि आवेदक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं था ।***

*इस संबंध में 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' की कण्डिका 2.4 (डी) जो निम्नानुसार उद्धृत है, का अवलोकन किया गया ।*

***2.4 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : (डी) "शिकायतकर्ता (Complainant)" से अभिप्रेत है –***

*(i) अधिनियम की धारा 2 की कण्डिका (15) में परिभाषित उपभोक्ता; अथवा*

*(ii) नवीन संयोजन हेतु एक आवेदनकर्ता; अथवा*

*(iii) उपभोक्ताओं की कोई पंजीकृत संस्था; अथवा*

*(iv) उपभोक्ताओं की कोई अपंजीकृत संस्था, जहाँ उपभोक्ताओं का एक–समान हित हो; अथवा*

*(v) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसका वैध उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि;*

*उक्त कण्डिका में विनिर्दिष्ट प्रावधान अनुसार प्रस्तुत अपील के लिए आवेदक को शिकायतकर्ता के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है ।*

***इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत अपील विद्युत लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण उनके समक्ष प्रचलन योग्य नहीं पाई जाती है और इस आधार पर आवेदक की अपील निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा ।***

*(2) फोरम द्वारा दिनांक 19.06.2006 को आदेश पारित करते समय आवेदक पर अनावेदक द्वारा जारी बिल के अनुसार रू0 4,21,331/– की राशि भुगतान हेतु बकाया थी, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन अपील प्रस्तुत करने के पूर्व या प्रकरण की अंतिम सुनवाई तक, कोई भुगतान अनावेदक को नहीं किया गया। इस संबंध में 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' की कण्डिका 3.37, जो निम्नानुसार उद्धृत है, का अवलोकन किया गया ।*

*3.37 विद्युत लोकपाल के पास कोई भी अभ्यावेदन दर्ज नहीं होगा जब तक कि उपभोक्ता विहित रीति में, फोरम के आदेश के निबंधनों के अनुसार वह देय राशि का कम से कम आधी राशि का भुगतान न कर दे जो कि फोरम द्वारा जारी आदेश के अनुसार होगी तथा फोरम द्वारा शिकायत का निराकरण न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों के अनुसार देय राशि हो तथा उसका अभ्यावेदन सफल न होने की दशा में उसके द्वारा बकाया राशि पर अधिभार का भुगतान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दी गई हो ।''*

*उक्त कण्डिका 3.37 में विनिर्दिष्ट प्रावधान अनुसार आवेदक द्वारा बकाया राशि के न्यूनतम 50 प्रतिशत का भुगतान अनावेदक को किया जाना था जो आवेदक द्वारा नहीं किया गया, अतः*

*आवेदक की अपील विधिक रूप से विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं पाई जाती है और इसको निरस्त किया जाना ही न्यायोचित होगा ।*

*(06)* ***उपरोक्तानुसार प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक की अपील अस्वीकार कर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर–उज्जैन क्षेत्र का आदेश दिनांक 19.06.2019 यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया जाता है । इस निर्णय के साथ प्रकरण निराकृत होकर समाप्त होता है ।***

*(06) (¡) उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की नि:शुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए।*

*अतः माननीय लोकपाल महोदय से सविनय अनुरोध है कि, उपरोक्त प्रकरण में श्रीमान के समक्ष पूर्व में समान तथ्यों को लेकर दायर अपील क्रमांक एल0010/2019 में पूर्ण सुनवाई होकर श्रीमान व्दारा अपीलार्थी की अपील आदेश दिनांक 27/02/2020 के माध्यम से निरस्त की गयी है ।*

*अतः माननीय लोकपाल महोदय से पुनः अनुरोध है कि, अपीलार्थी की अपील सुनवाई योग्य न होने के कारण अपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त कर अपीलार्थी की ओर वर्तमान में शेष बकाया राशि रूपये 2,10,631/– (421331-125600-85100=210631) भुगतान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें । ''*

उपस्थित श्री अनुज कुमार सेंगर, सहायक यंत्री से प्रकरण के संबंध निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया, जो निम्नानुसार है :–

01. लोड सर्वे रिपोर्ट ।
02. एम.डी. रिकार्डेड – 2 साल की जब से प्रकरण विवादित है ।
03. मीटर टैस्टिंग रिपोर्ट – सिक्योर मीटर कंपनी से करवाया या नहीं ।

अनावेदक द्वारा उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 07.10.2022 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 07.10.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक एडवोकेट श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अनुज कुमार सेंगर, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अनुज कुमार सेंगर, सहायक यंत्री ने प्रकरण के संबंध में पूर्व सुनवाई में अनावेदक को निर्देशित 3 जानकारी के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई तथा लिखित प्रत्युत्तर रिकार्ड में लिया गया । जो निम्नानुसार है :–

***<u>जवाबदावा–ओर से अनावेदक</u>***

*माननीय महोदय के समक्ष दिनांक 16/9/2022 को आयोजित सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशों के परिपालन में निम्नानुसार जानकारी श्रीमान के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।*

*1 लोड सर्वे रिपोर्ट आपके कार्यालयीन ई मेल secmperc@sancharnet.in पर प्रेषित की गयी है ।*

*2. एम.डी. रिकार्डेड 3 साल की रिपोर्ट संलग्न है ।* ***(अनुलग्नक एक–क्रमांक 1 से क्रमांक 8 तक)***

*3. मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट सिक्योर कंपनी से नही की गयी है, मीटर की टेस्टिंग मीटर परीक्षण संभाग इंदौर व्दारा उपभोक्ता के प्रतिनिधि के समक्ष 08/11/2019 को किया गया, मीटर परीक्षण में सही पाया गया । मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है ।* ***(अनुलग्नक दो–क्रमांक 9 से क्रमांक 12 तक)***

आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त लिखित जानकारी का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 20.10.2022 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 20.10.2022 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । (आवेदक सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो रहा था, इस कारण अनावेदक को दूरभाष पर सुनवाई में उपस्थित नहीं होने हेतु निर्देशित किया गया था ।)
आवेदक अधिवक्ता द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया कि आवेदक के यहां गमी हो गई है, जिस कारण वे दिनांक 20.10.2022 को सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु आगामी तिथि निर्धारित करने की कृपा करें ।
आवेदक के निवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 09.11.2022 नियत की जाती है । उभयपक्ष को सूचित हो ।

❖ सुनवाई दिनांक 09.11.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक एडवोकेट श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अनुज कुमार सेंगर, सहायक यंत्री उपस्थित ।
आवेदक द्वारा अनावेदक कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसको रिकार्ड में लिया गया तथा जिसकी एक प्रति अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अनुज कुमार सेंगर, सहायक यंत्री को दी गई । *''जो निम्नानुसार है :–*

*एक ओर प्रतिअपीलार्थी के कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 11.12.2019 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है ''मेसर्स फतेह गुरू गोविन्द सिंह कंपनी की एम.आर.आई रिपोर्ट दिनांक 01.05.2018 से 31.10.2018 की प्रति दिन की एम.डी. रिपोर्ट चाही गई है उपरोक्त उपभोक्ता का मीटर क्र. एम.पी.ई. 33693 है जो ई पुराने सीरिज का मीटर है अतः उसमे प्रतिदिन की एम.डी. देखने का कोई उल्लेख नहीं यह तथ्य अनेक्जर 5 है'' ।*

*यह कि स्वीकृत तथ्य है कि अधिक लोड का उपयोग करने पर ही अधिक एम.डी. मीटर में रिकार्ड होती है परन्तु प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथित एम.डी. शीट विवरणी अनुसार मात्र 27.07.2018 को रात्रि के 11.00 बजे से सुबह 3.00 तक की अल्प अवधि में 109 एम.डी. मीटर में रिकार्ड करने पर अपीलार्थी से करीब 6,00,000/– रू. अधिक राशि की मांग विधिवत व्यवाहरिक और नियम अनुसार सही प्रतीत नहीं होती है ।''*

सुनवाई के दौरान उभयपक्षों द्वारा मौखिक कथन प्रस्तुत किए, जिसे संज्ञान में लिया गया । आवेदक प्रतिनिधि को सीजनल उपभोक्ता हेतु टैरिफ के प्रावधान समझाएं गए जिससे वे संतुष्ट हुए ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

**04.** उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है :–

01. आवेदक मेसर्स फतेहगुरू गोविंद सिंह एण्ड कम्पनी ने ग्राम मोहम्मद पुरा, रेणुका माता मंदिर रोड़ पर जिला व तहसील बुरहानपुर में अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी से 200 केवीए संविदा मांग का विद्युत कनेक्शन 33 केवी वोल्टेज पर प्राप्त किया था ।

02. आवेदक ने उक्त कनेक्शन क्र. 9026904000 सीजनल टैरिफ श्रेणी हेतु प्राप्त किया था ।

03. आवेदक का कनेक्शन 31.10.2018 को स्थायी रूप से विच्छेदित हो गया है ।

04. टैरिफ आदेश 2018–19 में टैरिफ श्रेणी एचवी–4 जो कि सीजनल औद्योगिक उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए हैं इसमें आफ सीजन में फिक्स चार्ज 10 प्रतिशत मांग पर या दर्ज की गई वास्तविक मांग एवं ऊर्जा प्रभार 120 प्रतिशत की दर से बिल किया जावें ।

05. उक्त टैरिफ के विशिष्ट नियम एवं शर्तों के खण्ड क्रमांक जी (g) में यह प्रावधान है कि "The consumer will be required to restrict his maximum demand during off season up to 30% of the contract demand. In case the maximum demand recorded in any month of the declared off season exceeds 34.5% of CD (115 % of 30 % of CD) the consumer will be billed under HV 3.1 Industrial tariff for the whole financial year as per the tariff in force.

06. टैरिफ में स्पष्ट प्रावधान है कि घोषित सीजन के किसी भी माह में यदि अधिकतम मांग संविदा मांग के 30 प्रतिशत एवं उस पर 15 प्रतिशत की छूट को शामिल कर 34.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूरे वित्तीय वर्ष के बिल एच.वी. – 3.1 औद्योगिक श्रेणी की टैरिफ दर से पुनरीक्षित कर बिल किए जावें ।

07. यह बिलिंग डाटा से मान्य है कि माह अगस्त 2018 में अधिकतम मांग 109 केवीए दर्ज की गयी थी जो कि मीटर की जांच में वास्तविक एवं सही पायी गई ।

08. यह भी अविवादित है कि आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर एवं मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में जांच में सही कार्य करते पाए गए ।

09. अनावेदक ने एमआरआई डाटा प्रस्तुत किया जिससे अधिकतम मांग 109 केवीए दर्ज होने की पुष्टि होती है ।

10. अनावेदक ने टैरिफ में प्रावधान अनुसार आवेदक के बिल टैरिफ एच.वी. – 4 के स्थान पर एच.वी. – 3.1 के अनुसार पुनरीक्षित किए जिसके फलस्वरूप अंतर राशि आवेदक से मांग की है ।

**05.** उभयपक्षों द्वारा किए गए कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

i) यह सत्य है कि आवेदक ने 200 केवीए का उच्चदाब कनेक्शन सीजनल श्रेणी हेतु 33 केवी पर प्राप्त कर अनावेदक से अनुबंध किया था ।

ii) सीजनल श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ आदेश वर्ष 2018–19 में यह प्रावधान था कि उपभोक्ता द्वारा घोषित आफ सीजन के माहों में अधिकतम मांग, संविदा मांग की 30 प्रतिशत से अधिक तक सीमित रखना आवश्यक है । अतिरिक्त छूट मिलाकर संविदा मांग के 34.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

iii) ऑफ सीजन के माहों में कभी भी एवं किसी भी माह में अधिकतम मांग संविदा मांग का 34.5 प्रतिशत से अधिक पाए जाने पर उस वित्तीय वर्ष के समस्त बिल औद्योगिक टैरिफ एच.वी. – 3.1 के अनुसार पुनरीक्षित कर अंतर की राशि बिल करने का प्रावधान भी टैरिफ आदेश में है ।

iv) यह भी मान्य है कि आवेदक के कनेक्शन की अधिकतम मांग माह अगस्त 2018 में 109 केवीए दर्ज हुई थी जो कि संविदा मांग 200 केवीए का 54.5 प्रतिशत है एवं आवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षण में मीटर एवं एम.ई. (Metering Equipment) दोनों की कार्यप्रणाली ठीक पाई गई, जिसे उपभोक्ता ने मान्य किया है ।

v) अनावेदक ने टैरिफ में प्रावधान अनुसार टैरिफ श्रेणी एचवी–3.1 के आधार पर बिलिंग पुनरीक्षित की है जो कि सही एवं नियमानुसार है ।

vi) आवेदक का कथन की मात्र 4 घंटे एम.डी. (अधिकतम मांग) अधिक आने पर पूरे वित्तीय वर्ष के बिल एचवी–3.1 पर पुनरीक्षित करना न्याय संगत नहीं है – यह मान्य करने योग्य नहीं है क्योंकि टैरिफ/नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

vii) आवेदक प्रतिनिधि को एमआरआई रिपोर्ट एवं लोड सर्वे दिखाया गया जिसमें 109 केवीए अधिकतम मांग दर्ज हुई है उसे देखकर संतुष्ट हुआ ।

**06.** प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

ii) अनावेदक द्वारा बिल की गई अंतर की राशि टैरिफ में प्रावधान अनुसार है जो कि सही है।

iii) आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि बकाया राशि का भुगतान 15 दिवस के अंदर करें, अन्यथा की स्थिति में अनावेदक नियमानुसार वसूली के लिए स्वतंत्र होगा ।

**07.** उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

**08.** आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

**विद्युत लोकपाल**